कार्यालय अधिष्ठाता,
भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगॉव (छत्तीसगढ़)

कमांक / 3493-94 / कय / 2022–23 राजनांदगांव, दिनांक 20/07/2022

केमिकल्स / ग्लासवेयर / कीट / रिजेंट्स एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री कय हेतु निविदा नियम एवं शर्ते

निविदा शर्तों का सही अध्ययन कर ही निविदा फार्म जमा करें

1. **निविदा बिकी की [redacted] तिथि प्रारंभ – 25.07.2022 सायंकाल 5.00 बजे तक ।**
2. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 24.08.2022 दोपहर 3.00 बजे तक ।**
3. **निविदा खोलने की तिथि – 24.08.2022 सांयकल 4.00 बजे ।**
4. **निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि – 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र, वापसी अयोग्य)**

(निविदा प्रपत्र भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की वेबसाईट www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in में प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु राशि रूपये 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट टेण्डर लिफाफा 'अ' के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा)

---

1. अधिष्ठाता भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव छ.ग. के द्वारा आवश्यक सामग्रियां जिनमें केमिकल्स, रिजेंट, किट, ग्लासवेयर एवं अन्य मेडिकल तथा प्रयोगशाला सामग्रियों को कय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दर्शायें अनुसार **खुली निविदा** आमंत्रित की जाती है ।
2. केमिकल्स, रिजेंटस, किट, ग्लासवेयर एवं अन्य मेडिकल तथा प्रयोगशाला सामग्रियों आदि हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनी तथा उनके द्वारा अधिकृत विकेताओं से निविदा आमंत्रित है।
3. निविदा स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर टंकित कर संलग्न निविदा प्रपत्र में भरकर जमा करनी होगी।
4. केमिकल, रिजेंट, डायग्नोस्टिक किट एवं अन्य मेडिकल सामग्री आवश्यकतानुसार, उपलब्ध आबंटन एवं समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशानुसार ही कय की कार्यवाही की जावेगी। कय में किसी प्रकार की बाध्यता नही होगी।
5. कय हेतु आदेशित केमिकल्स, ग्लासवेयर, रिजेंट, किट एवं अन्य मेडिकल सामग्री आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण मापदण्ड के अनुसार प्रदाय करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त

माना जावेगा। समय पर प्रदान न करने की दशा में विलम्ब से प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने स्वयं के व्यय से वापस लेना होगा।

6. सभी निविदाकर्ता को 50/–(पचास रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई केमिकल, रिजेंट,कीट Quqted Quaility की न होने पर एवं मेडिकल सामग्री की गुणवत्ता निम्न/अमानक स्तर की अथवा हानिकारक अथवा अशुद्व पायी गई तो मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जाए ।
7. निविदा अवधि में प्रदान किये गये केमिकल्स, ग्लासवेयर ,रिजेंट, कीट एवं अन्य मेडिकल सामग्री मूल्य खुदरा बाजार भाव से तथा किसी भी अर्धशासकीय/शासकीय संस्था को प्रदाय किये गये दर से तथा शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है । यह शपथ पत्र 50/–रू0 के स्टॉप पेपर में नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा ।
8. भुगतान शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देश एवं प्राप्त आवंटन के अनुसार किया जावेगा ।
9. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा । निविदा प्रकिया से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद न्यायालीन प्रक्रिया राजनांदगांव न्यायालय के अधीन रहेगा।
10. निविदा में सभी प्रकार के केमिकल, रिजेंट, किट एवं अन्य मेडिकल सामाग्रियों को विभागवार दर्शित सूची अनुसार पृथक–पृथक कर कम्प्यूटराईज टाइप कंपनी/फर्म/संस्था के लेटर पेड पर ही मान्य की जायेगी। हार्डकापी के साथ सॉफ्ट कापी (MS Execel , Times New Roman – Font size-12) की सी.डी. भी जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. निविदा में निर्माता कम्पनी/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर का जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन, गुमास्ता की सत्यापित छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, एक लाख पचास हजार रूपये FDR के रूप में E.M.D., (कंडिका कं–6,7,19,37 के ऐवज में) प्रत्येक के लिए अलग– अलग 50.00 रू0 का स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, प्रोपराईटरी सामग्री संबंधी प्रमाण पत्र, टर्नओव्हर प्रमाणपत्र संबंधी समस्त दस्तावेंजो की छायाप्रति जमा करना अनिर्वाय है। DCGI द्वारा जारी ड्रग लायसेंस का पंजीयन प्रमाण पत्र (एंटीबायोटिक डिस्क एवं अन्य सामग्री जिसके लिये ड्रग लायसेंस जरूरी है, प्रदाय करने वाले फर्म को जमा करना अनिवार्य है) की स्पष्ट छायाप्रति को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन तिथि एवं पदमुद्रा सहित सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य है। कय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गए दस्तावेजों का मिलान मूल प्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
12. निविदा में सभी सामग्रियों ***का*** रेट एवं जी.एस.टी. का अलग से **स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये**) मेडिकल सामग्रियॅा F.O.R. भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगॉव के केन्द्रीय भंडार शाखा में (Door delivery) के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाडा अथवा अन्य व्यय मान्य नही होगा।
13. निविदादाता को प्रत्येक सामाग्री के प्रमाणिकता संबंधी प्रमाण संलग्न करना होगा।
14. एक सील बन्द लिफाफे में दो निविदा पद्धति के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र में जिसमें बाहर उपर केमिकल्स, रिजेंट, किट एवं अन्य मेडिकल सामग्रियों के लिए निविदा वर्ष 2022–2023 लिखा हो इस मुख्य लिफाफे के अन्दर दो अलग से लिफाफे निम्नानुसार होने चाहिएः–

अ –मुख्य लिफाफा प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा जिसमें उपलब्ध दो लिफाफे में से तकनीकी **(Technical Bid – निविदा प्रपत्र की राशि रूपये 1000 (एक हजार रूपये)की मूल डी.डी., या संस्था से निविदा फार्म कय किये जाने पर रसीद की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न, गुमास्ता की सत्यापित छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति , एक**

लाख पचास हजार रूपये **FDR** के रूप में **E.M.D** या बैक ड्राफ्ट, (कंडिका कं–6,7,19,38 के ऐवज में) प्रत्येक के लिए अलग– अलग 50.00 रू0का स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र , टर्नओव्हर संबंधी समस्त दस्तावेंजो की छायाप्रति, प्रोपराईटरी सामग्री संबंधी प्रमाण पत्र, एवं **DCGI** द्वारा जारी ड्रग लायसेंस का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र हो (जहॉ लागू हो) कम्पनी /फर्म का अधिकृत प्रमाण पत्र की स्पष्ट छायाप्रति को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन तिथि एवं पदमुद्रा सहित सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफा 'अ' (टेक्नीकल बीड) को सर्व प्रथम खोला जायेगा, जिसमें तकनीकी अभिलेख जैसे F.D.R. प्रत्येक केमिकल, कीट ***एवं अन्य मेडिकल सामग्रियों के लिए GMP, ISO,CE,ISI,FDA,DCGA (Latest MFG Date /Year)प्रमाण पत्र लगाया गया हो उसकी सूची जिसमे स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाये गये है।*** तथा वे प्रमाण पत्र कब तक के लिए वैध है।

ब– उपरोक्त लिफाफा के अभिलेखों के परीक्षण उपरांत क्रय समिति द्वारा जिन निविदाकारों के अभिलेखों को सही पाया जायेगा उनकी निविदा मान्य किये जाने की दशा में ही निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत Price Bid लिफाफा 'ब' को खोला जायेगा। प्राईस बीड लिफाफे में प्राईस संबंधी जानकारी की साफ्ट कापी सी.डी. सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

15. प्रत्येक निविदादाता को ***एक लाख पचास हजार रूपये*** FDR या Bank Draft के रूप में E.M.D. जमा करना होगा जो कि **"DEAN BRABVM MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON (C.G.)** के पक्ष में देय होना चाहिए ।
16. निविदा नियत तिथि 24•08•2022 में दिन के 3:00 बजे के पूर्व शासकीय **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर/स्वंय के द्वारा** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । निविदा उसी कार्य दिवस में निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शाम 4:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा । शासकीय अवकाश की स्थिति में दूसरे कार्य दिवस में निविदा प्राप्त की जा सकेगी एवं उसी दिन खोला जायेगा ।
17. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा वैधता दिनांक की समाप्ति तक जमा रखा जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि 25 दिवस के उपरांत लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जाएगा ।
18. चिकित्सा महाविद्यालय में अविरल रूप से सामग्री की पूर्ति बनाये रखने के लिये क्रयादेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभक्त कर सकेगा, जिसके लिये किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा ।
19. स्वीकार फर्म को रूपये 50.00 के न्यायालयिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा प्रदाय की गई केमिकल, रिजेंट, कीट एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता उत्तम है परन्तु यदि किसी कारणवश पुनः परीक्षण कराये जाने की स्थिति में परीक्षण व्यय की राशि का भुगतान संबंधित फर्म के द्वारा किया जायेगा तथा यह भी कथन करना होगा कि यदि प्रदाय की गई वस्तु उक्त जांच में निम्न अथवा अमानक स्तर की पाई जाती है तो अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार अन्य कार्यवाही हेतु सहमत हूँ ।
20. समस्त प्रदाय की जाने वाली केमिकल, रिजेंट, डायग्नोस्टिक किट एवं अन्य मेडिकल सामग्रियॉ Mfg, Date, Exp, Date तथा ***only C.G. Govt.supply*** लिखा होना अनिवार्य है। प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अवसान तिथि प्रदाय करने के दिनांक से दो वर्ष से कम नही होना चाहिये।
21. आदेशित केमिकल,रिजेंट, डायग्नोस्टिक कीट एवं अन्य मेडिकल सामग्रियों की पूर्ति स्वीकृत दर के अनुसार जावक तिथि से 30 दिवस के अन्दर पूर्ति नही किये जाने की स्थिति में शासकीय